संख्या– 2845/57–म–2002–5(69)/81

प्रेषक,

राजीव गुप्ता
सचिव,
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,
गोमती नगर, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2002

विषयः– मत्स्य विभाग/मत्स्य विकास निगम के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणी के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र क्रमशः पत्रसंख्या–160/सा0शा0, दिनांक 09.08.2002 तथा 952/मविनि/प्र0नि0/2002, दिनांक 22.06.2002 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या 765/57–म–2000–5(69)/81, दिनांक 08 मार्च,2000 एवं संख्या–1573/57–म–2000–5(69)/81, दिनांक 20.04.2001, जिसमें मत्स्य विभाग एवं मत्स्य विकास निगम के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणी के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण संबंधी आदेश निर्गत किए गए थे, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आया है कि श्रेणी एक तथा दो के जलाशयों के निस्तारण हेतु नीलामी की वर्तमान पद्धति में सदैव यह संभावना बनी रहती है कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से अन्य बोलीदाताओं को बोली न बोलने के लिए दबाव डाला जाता है जिसके परिणामस्वरूप उनमें आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती और कभी–कभी तो नीलामी हेतु न्यूनतम राशि भी नीलामी के समय प्राप्त नही हो पाती। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा मत्स्य विभाग तथा उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम के अधीन आने वाले श्रेणी एक तथा दो के जलाशयों के मत्स्य आखेट हेतु प्रभावी नीलामी की वर्तमान व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त श्रेणी के जलाशयों का निस्तारण टेन्डर–सह–नीलामी पद्धति से किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम टेन्डर आमंत्रित किए जायेगें, तत्पश्चात नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कराई जायेगी। टेन्डर हेतु फार्म संबंधित मण्डल के उप निदेशक मत्स्य के कार्यालय से कार्यालय समय के अन्दर प्राप्त किए जा सकेगे तथा वहां जमा किए जायेगे। टेन्डर–सह–नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक टेन्डर दाता को टेण्डर डालने के साथ तथा बिना टेन्डर डालने वाले इच्छुक बोली दाता को नीलामी कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व तक आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि बयाने के रूप में बैक ड्राफ्ट/पे–आर्डर के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। टेन्डर डालने के इच्छुक व्यक्ति बैक ड्राफ्ट/पे–आर्डर के माध्यम से 10 प्रतिशत बयाने की धनराशि संबंधित उप निदेशक मत्स्य कार्यालय में जमा करेगे जिस पर उन्हें रसीद दो प्रति में प्राप्त होगी, जिसमें से एक प्रति वह अपने टेन्डर फार्म जमा करते समय उसके साथ नत्थी करेगे तथा दूसरी प्रति दिखाने पर वह

नीलामी प्रकिया में भाग ले सकेगे। जो व्यक्ति केवल नीलामी प्रकिया में भाग लेना चाहते है वह 10 प्रतिशत बयाने की धनराशि नीलामी के दिनांक से एक दिन पूर्व तक संबंधित उप निदेशक मत्स्य के कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर सकेगे तथा प्राप्त रसीद को नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा। नीलामी के दिनांक को नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक नीलामी स्थल पर ही 10 प्रतिशत बयाने की धनराशि के बैक ड्राफ्ट/पे–आर्डर जमा कर सकते है। बिना बयाने की धनराशि जमा किए किसी भी टेन्डर दाता/बोलीदाता को टेन्डर–सह–नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। नीलामी प्रारम्भ होने के बाद कोई टेण्डर स्वीकार नही किया जायेगा। नीलामी की कार्यवाही के पूर्ण होने के उपरान्त टेन्डर खोले जायेगे। श्रेणी एक के जलाशयों के सम्बन्ध में प्राप्त टेन्डर अथवा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली में से जो धनराशि उच्चतम होगी, उसे नीलामी समिति द्वारा संस्तुति सहित प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/निदेशक, मत्स्य विभाग को संबंधित ठेकेदार/समिति के पक्ष में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा। श्रेणी–दो के जलाशयों के सम्बन्ध में प्राप्त टेन्डर अथवा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली में से जो धनराशि उच्चतम होगी उस पर नीलामी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। सफल टेन्डरदाता/बोलीदाता की 10 प्रतिशत बयाने की धनराशि उसके द्वारा तत्काल देय 25 प्रतिशत धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। जिन टेंडरदाताओं/बोलीदाताओं के टेंडर/बोली स्वीकार नहीं की जाती है, उनकी 10 प्रतिशत बयाने की धनराशि तीस दिन के अन्दर संबंधित उप निदेशक, मत्स्य कार्यालय से एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से टेंडरदाता/बोलीदाता के पक्ष में वापस कर दी जायेगी। इस अवधि के लिए टेंडरदाता/बोलीदाता को उसके बयाने की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। अगर नीलामी के दिनांक से तीस दिन के अंदर 10 प्रतिशत बयाने की धनराशि संबंधित उप निदेशक कार्यालय से वापस नहीं की जाती है तो तीसवें दिन के बाद से बयाने की धनराशि पर चार प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

2. इसी कम में यह भी उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या–765/57–म–2000–5(69)/81, दिनांक 08.03.2000 के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर (3) में गठित नीलामी समिति के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि श्रेणी–एक व श्रेणी–दो के जलाशयों की नीलामी किए जाने हेतु संयुक्त/उप विकास आयुक्त नीलामी समिति की अध्यक्षता करेगे किन्तु उनकी अनुपस्थिति में संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा नीलाम समिति की अध्यक्षता की जायेगी।

3. उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 08.03.2000 तथा 20.04.2001 एतद्द्वारा उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगे तथा तद्नुसार शासनादेश संख्याः 1383/57–म–2001–5(69)/81, दिनांक 11.04.2001 के साथ जारी की गई अनुबन्ध की शर्तो में इसे सम्मिलित समझा जायेगा। पूर्व निर्गत उक्त समस्त शासनादेशों कमशः दिनांक 08.03.2000, 11.04.2001 व 20.04.2001 में श्रेणी–एक तथा श्रेणी–दो के जलाशयों के संबंध में प्रत्येक ऐसे स्थान पर जहां–जहां नीलामी शब्द अंकित है, उन सभी स्थानों पर टेंडर–सह–नीलामी शब्द पढ़ा जायेगा। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

ह0/

(राजीव गुप्ता)

सचिव

संख्याः 2845(1) / 57–म–2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम, लखनऊ।
5– प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक पंचायती राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8– निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– समस्त उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त अतिरिक्त जिलाधिकारी / समस्त मुख्य विकास अधिकारी / समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0 /
(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव